


प्रपत्र-7

वाद सं०-05/2016-17

बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 के अन्तर्गत धारा 3 उप-धारा (6) अथवा (7) (जो लागू हो) के अन्तर्गत सम्परिवर्तन की अनुमति का प्रमाण-पत्र

सक्षम प्राधिकार द्वारा बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 के अन्तर्गत धारा 3 उप-धारा (6) अथवा (7) (जो लागू हो) के अन्तर्गत निम्नवर्णित कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजन का सम्परिवर्तन की अनुमति प्रदान की जाती है।

भूमि की विवरणी :-

| जिला का नाम | अनुमण्डल का नाम | अंचल का नाम | रैयत का नाम  | राजस्व ग्राम का नाम | राजस्व थाना संख्या | खाता संख्या | खेसरा संख्या | गैर कृषि प्रयोजन में प्रयुक्त किया जाने वाला रकबा  | चौहदी   | गैर कृषि प्रयोजन का प्रकार | सम्परिवर्तन उपरान्त देय वार्षिक लागान/सेस |
|-------------|-----------------|-------------|--|---------------------|--------------------|-------------|--------------|--|---|----------------------------|---|
| 1           | 2               | 3           | 4  | 5                   | 6                  | 7           | 8            | 9  | 10  | 11                         | 12  |
| बक्सर       | बक्सर           | राजपुर      | श्री मनोज कुमार<br>संचालक<br>प्रहलाद राय<br>टीचर्स ट्रेनिंग<br>कॉलेज,<br>तियरा | तियरा               | 171                | 134         | 424          | 81¼ डी०<br> | 30-अनिल राय वगै०<br>द०-नीज<br>पू०-दिनदयाल राय<br>वगै०<br>प०-नीज मोकिर | टीचर्स ट्रेनिंग<br>कॉलेज   | ₹ 80.00<br>अलावे<br>शेष                   |

अनुमण्डल पदाधिकारी,  
बक्सर।

आपांक-430 /स०, दिनांक-24.05.2016

प्रतिलिपि :- आवेदक श्री मनोज कुमार संचालक प्रहलाद राय टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, तियरा पिता-रामेश्वर पाण्डेय, ग्राम- शिवपुर, जिला- पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अंचलाधिकारी, राजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अनुमण्डल पदाधिकारी,  
बक्सर।